भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2787 का उत्तर

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण

2787. डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आधार से जुड़े आईआरसीटीसी खाते वाले यात्रियों को बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कदम से एजेंटों और दलालों द्वारा तत्काल टिकटों के दुरुपयोग को कम करने में किस प्रकार मदद मिलेगी; और

(ङ) क्या यह नियम ऑफलाइन बुकिंग पर भी लागू होगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समर्थन में किए गए तकनीकी उन्नयन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): यात्रियों को तत्काल टिकट सुलभ कराने और बुकिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. दिनांक 01-07-2025 से, तत्काल योजना के तहत टिकट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं द्वारा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से बुक किए जा सकेंगे।

ii. एजेंट्स को तत्काल बुकिंग के अग्रिम आरक्षण अवधि के पहले 30 मिनट के दौरान टिकट बुकिंग करने से रोक दिया गया है।

इस संबंध में किए गए उपायों से टिकटों की तत्काल बुकिंग में कमी आई है जिससे तत्काल बुकिंग सरल हुआ है। साथ ही, फर्जी खातों के माध्यम से एक से अधिक बुकिंग पर रोक लगाकर इस प्रणाली को और अधिक न्यायसंगत बनाया गया है। विभिन्न मंचों पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर तत्काल टिकटों की बुकिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना एक सतत् एवं निरंतर प्रक्रिया है।

*****